न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : वीर सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 08/2019

1. श्री रितेश बंसल पुत्र के.के. बंसल जाति – अग्रवाल आयु 39 वर्ष निवासी मकान नम्बर 43 ग्राउन्ड फ्लोर सैनिक विहार प्रीतमपुरा नई दिल्ली।
2. श्री रिसव गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता जाति अग्रवाल आयु 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 363 सेक्टर 7 अरबन स्टेट अम्बाला सिटी हरियाणा।
3. श्री बिपोंन गुप्ता पुत्र पवन कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल आयु 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 366 सेक्टर 21 बी, फरीदाबाद हरियाणा।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति भीखीदेवी पत्नी पूनाजी जाति जणवा, आयु व्यस्क, निवासी वाटेरा, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमति तीजो देवी पत्नी रामाराम जाति जणवा, आयु व्यस्क, निवासी वाटेरा, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. राजस्थानं सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा।

.... अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. श्री उमेश पटेल, ईश्वरलाल प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ब्रजेश गुप्ता तहसीलदार पिण्डवाडा पेरोकार सरकार श्री सरकार की ओर से।

दिनांक : 27.08.2019

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगणों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से अनुपस्थित। तहसीलदार पिण्डवाड़ा से मौका

उप खण्ड अधिकारी
पिण्डवाड़ा (सिरोही)

जॉच रिपोर्ट व प्रस्ताव का अवलोकन कियां गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम वाटेरा पटवार हल्का वाटेरा में स्थित अपनी खातेदार कृषि भूमि खसरा सं. 1050/2986 रकबा 12–13 बीघा व ख.सं. 1050/2987 रकबा 12–13 बीघा कुल 25–06 बीघा हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 भीखी देखी व तीजो देवी की आराजी सं. 3028/1053 व 3029/1053 में से नया रास्ता चाहा गया है, जो प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर रास्ते हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हुआ है तथा खसरा स. 2901/1050 व 2902/1050 के खातेदार ने सहमति पत्र के जरिये रास्ता हेतु भूमि समर्पित करने की सहमति दी है तहसीलदार पिण्डवाड़ा की रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण के लिए रास्ते का अभाव बताकर हरे रंग से रास्ता प्रस्तावित किया है ऐसी स्थिति में ग्राम वाटेरा पटवार हल्का वाटेरा के खसरा सं. 3028/1053 में से रकबा 0–06 बीघा सलंग्न प्रस्तावित नक्शानुसार जो हरे रंग दर्शायी गई हुई है भूमि को रास्ता हेतु दिया जाना उचित है .इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,71,800/–रूपये प्रति हैक्टर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधि. स्वीकारं किया जाता है एवं तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेश दिया जाता है

आदेश

ग्राम वाटेरा पटवार हल्का वाटेरा के खसरा सं.3028/1053 मे से 06 विस्वा भूमि रास्ते के लिए दिया जाने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त रास्ता हेतु स्वीकृत भूमि की तहसील राजस्व लेखाकार से गणना कराकर 6 विस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा करवाने पर खसरा सं. 3028/1053 में से संलग्न नक्शे में दर्शाये हरे रंग अनुसार A से B तक रकबा 6 विस्वा भूमि गै.मू. रास्ता दर्ज किया जायें, जो लट्टा नक्शा में अंकन किया जाए। मौके पर प्रार्थीगण को भौतिक रूप से रास्ता दिया जाये। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनाक 27.08.2019 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा

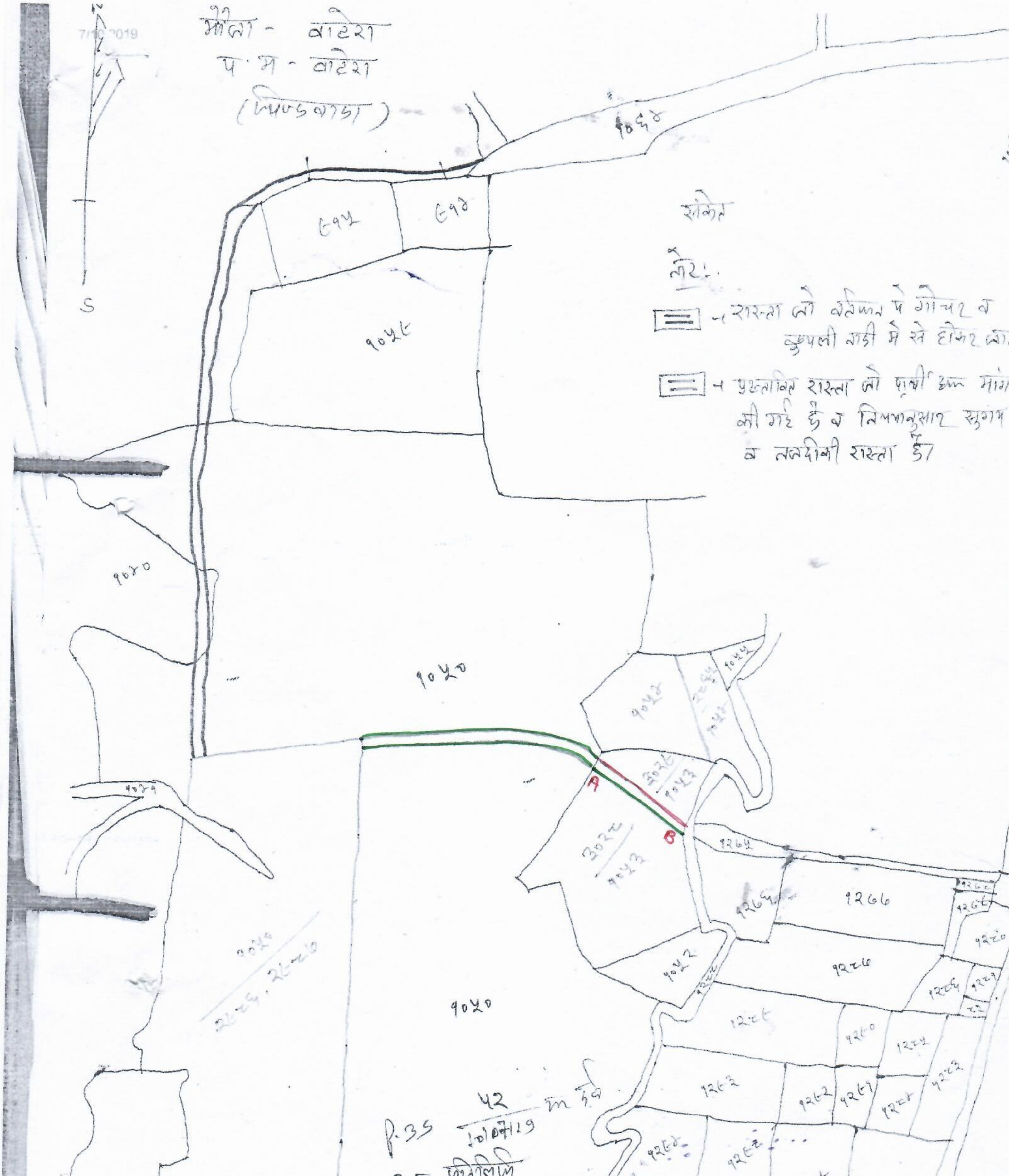

उप खण्ड अधिकारी
पिण्डवाड़ा (सिरोही)